

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर  
पीठासीन अधिकारी:— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:— 09/2010/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

- 1 राजादेवी बेवा घीसा जाति जाट निवासीनी लिछमीपुरा तन मण्डा सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
- 2 नानूराम, पोखरमल, मोतीराम, हीराराम पि. घीसा जाति जाट निवासी लिछमीपुरा तन मण्डा सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थीगण



रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक:—24.10.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मण्डा (सुरेरा) के आराजी ख0नं0 1062 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0300 है0 की वर्तमान खातेदारी राजादेवी बेवा घीसा, नानूराम, पोखरमल, मोतीराम, हीराराम पि. घीसा जाति जाट निवासी लिछमीपुरा के नाम से दर्ज है। ग्राम मण्डा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै.मु.जोहड़ी खाता संख्या 1 में सम्वत् 2022-25 में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त जमाबन्दी में भूमि गैर मुमकीन जोहड़ी दर्ज रिकार्ड थी। तहसीलदार दांतारामगढ़ के आदेश द्वारा उक्त भूमि घीसा पुत्र रुघा जाति जाट को दिनांक 08.04.69 को कृषि योग्य भूमि मानकर आवंटन कर दी गयी तथा उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि घीसा पुत्र रुघा जाति जाट के नाम नामांतरण संख्या 208 दिनांक 08.04.69 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। नामांतरण संख्या 676 दिनांक 07.05.81 से उक्त भूमि की खातेदारी घीसा पुत्र रुघा जाति जाट निवासी लिछमीपुरा के नाम से दर्ज हुई है। नामांतरण संख्या 217 दिनांक 20.05.04 से उक्त भूमि विरासत से राजादेवी बेवा घीसा, नानूराम, पोखरमल, मोतीराम, हीराराम पि. घीसा जाति जाट के नाम दिनांक 20.05.04 से उक्त भूमि दर्ज हुई। भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 492/3 से नये खसरा नम्बर 1062 जिसमें भू-प्रबन्ध विभाग ने भूमि की किस्म गै.मु.आबादी दर्ज कर खातेदारी में दर्ज कर दी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैर मुमकीन नदी/नाला/झील/तालाब/चारागाह/जलाशयों की भूमि का आवंटन योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी बी, सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को पेरा संख्या 1 में उल्लेखित भूमि जो नदी/नाला/झील/तालाब/जलाशय/जलप्रवाह/जलस्थिर की भूमि दर्ज रिकार्ड थी, जो पश्चातवर्ती भू-अभिलेख सहक्रियायें के तहत निजी खातेदारी/अन्यत्र दर्ज हो गई ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही कर ऐसी जलोड गैर मुमकीन भूमियों को पुनः पूर्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकीन जलोड भूमि दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। अतः माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या 1536/03 में पारित आदेश के क्रियान्वयन में रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन/नियमन

आदेश दिनांक 08.04.69 एवं नामांतरण संख्या 208 को निरस्त फरमाकर भूमि वादग्रस्त को सिवाय चक गैर मुमकीन जोहड़ी दर्ज करने के आदेश पारित करावें।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री पोखरमल भींचर उपस्थित। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2022-2025 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 492 की खातेदारी जलोढ़ भूमि किस्म गै.मु. जोहड़ी दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2026-2029 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी घीसा पुत्र रूघा कौम जाट सा.लिछमीपुरा गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। नामांतरण संख्या 208 मुताबिक नियमन आदेश के द्वारा खसरा नम्बर 492 में से 3 बिस्वा भूमि घीसा पुत्र रूघा कोम जाट निवासी लिछमीपुरा तन मंढा गैर खातेदार के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामांतरण संख्या 676 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अंकित कर दी गई। भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 492 जिसके नये खसरा नम्बर 1062 अंकित कर दिये गये। तत्पश्चात् नामांतरण संख्या 217 खातेदार घीसा पुत्र रूघा फौत होने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर राजादेवी बेवा घीसा, नानूराम, पोखरमल, मोतीराम, हीराराम पि. घीसा कौम जाट सा.लिछमीपुरा खातेदार के नाम तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2022-2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 492 की खातेदारी जलोढ़ भूमि किस्म गै.मु.जोहड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। नामांतरण संख्या 208 मुताबिक नियमन आदेश के द्वारा खसरा नम्बर 492 में से 3 बिस्वा भूमि घीसा पुत्र रूघा कोम जाट निवासी लिछमीपुरा तन मंढा गैर खातेदार के नाम तस्दीक कर दिया गया एवं जमाबन्दी सम्वत् 2026-2029 के मुताबिक उक्त खातेदारी घीसा पुत्र रूघा कौम जाट सा. लिछमीपुरा के नाम दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2022-2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात जलोढ़ भूमि है तथा किस्म गै.मु. जोहड़ी दर्ज है। जबकि गैर मुमकीन जोहड़, नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मण्डा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ़ की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 492 जिसके नये खसरा नम्बर 1062 में से 0.03 है० की अप्रार्थी को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयप्रकाश)  
अति० जिला कलेक्टर, सीकर